छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, सी–अनुभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
—00—
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

क्रमांक एफ–4–82/दो/गृह–सी/2001 :: प्रदेश के नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश एवं समस्त संशोधित आदेशों में दर्शित बिन्दुओं को सम्मिलित कर वर्तमान परिवेश/परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार पुनर्वास कार्ययोजना स्वीकृत करता है:–

परिभाषा–

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय से ऐसे व्यक्ति/परिवार से है:–

अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हो अथवा

ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

स. परिवार के अंतर्गत परिवार के मुखिया, मुखिया की पत्नी, पुत्र अविवाहित पुत्री, आश्रित माता–पिता एवं आश्रित भाई–बहन शामिल होंगे।

द. शासकीय सेवा में नियुक्ति या किसी भी आर्थिक सुविधा/लाभ के लिए पीड़ित परिवार के किसी अन्य सदस्य का शासकीय सेवा में होना उसकी अर्हता को प्रभावित नही करेगा।

इ. मुखबीर को नक्सलियों द्वारा क्षति पहुंचाने पर वे भी नक्सल पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में सम्मिलित होंगे।

2. आत्मसमर्पित नक्सली से आशय–

(क) भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विधि विरूद्ध कियाकलाप अधिनियम 1967/छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क. 14 सन् 2006) के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) एवं उसके अग्र संगठन/दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, कांतिकारी आदिवासी महिला संघ, कांतिकारी आदिवासी बालक संघ, कांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार, चेतना नाट्य मंच तथा पीपुल्स लिबरेशन फंट ऑफ इंडिया (पी.एल.एफ. आई.), तृतीय प्रस्तुति कमेटी का सदस्य चाहे वह किसी भी पद पर हो एवं शासन द्वारा समय–समय पर इस प्रकार घोषित विधि विरूद्ध नक्सली संगठन का सदस्य हो या रहा हो।

3. **जिला स्तरीय समिति**– पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें कलेक्टर द्वारा नामांकित व्यक्ति सदस्य होंगे। पूर्व में कार्यरत जिला स्तरीय समिति कार्यशील रहेगी। इस समिति में जिले में कार्यरत केन्द्रीय बलों के सेनानी को भी शामिल किया जायेगा।

D.G./PHQ/ G-5246/15 Date 16-11-15
NO/PHQ/ADGP/SIB/ M/1073 दि. 16/11/15
No./PHQ/DIG/S.I.B. S-373 DATE 18/11/15
NO/PHQ/IG/S.I.B. G-4394 DATE 17/11/2015
पु.मु./पु.अ./वि.आ.शा. क्रमांक 383 दिनांक 19/11/15
A.D.G. (SIB/ANO)
IGP (SIB/ANO)
DIG (SIB/ANO)
SP/SIB (A)
ADN(SIB)
DGP CHHATTISGARH, RAIPUR

4. **राज्य स्तरीय समिति**– पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग द्वारा नामांकित व्यक्ति सदस्य होंगे। इस नीति के कार्यान्वयन के समय पूर्व से ही गठित राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति प्रभावशील रहेगी।

प्रकिया–

1. अ. नक्सली पीड़ित परिवार हेतु प्रकिया–

(a) नक्सल पीड़ित व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला स्तरीय समिति को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेंगे।

(b) जिला स्तरीय समिति आत्मसमर्पित नक्सली के प्रकरणों को पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर पुनर्वास की कार्यवाही हेतु प्रत्येक 02 माह में एक बार बैठक करेगी।

(c) पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 120 दिन के अंदर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेंगे। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्स्थापना के किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई होगी तो उसे राज्य–स्तरीय अंतर्विभागीय समिति के समक्ष प्रेषित किया जायेगा। प्रकरण प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर समिति उसका निराकरण अवश्य करेगी।

2. अ. आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु–

(I) नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण करने पर उससे पुनर्वास नीति के अंतर्गत राहत प्रदान करने के संबंध में स्वहस्ताक्षरित आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(II) जिन नक्सलियों पर रैंक के अनुसार शासन द्वारा ईनाम घोषित है, प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त सुविधाएं देने से पूर्व वह प्रकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा उपरांत ही विचारण किये जायेगें। शेष प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास की कार्यवाही स्वतः कर सकेगी।

(III) आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में यह सिद्धांत रहेगा कि वह हिंसात्मक गतिविधि छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होते हुए राज्य में शांति स्थापित करने हेतु कार्य करेगा, जिसका अनुसरण अन्य नक्सलियों द्वारा किया जा सकता है।

(IV) आत्मसर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा–

(1) उम्र (2) शिक्षा (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठिभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है, (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना, नक्सल उन्मूलन अभियान में सहयोग।

...3

1. (ब) नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं –

01. पीड़ित परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

02. पीड़ित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को यदि वह शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किसी भी विभाग में जिला प्रमुख की सहमति से नियुक्ति की जा सकेगी।

03. पीड़ित परिवार में नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के मृत/शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने, किसी व्यक्ति की संपत्ति की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हे निम्नानुसार राहत/सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी:–

क.	क्षति का विवरण	स्वीकृत राहत राशि
1.	मृत व्यक्ति के परिजनों –	05 लाख रूपये
2	घायल को– (क) स्थायी असमर्थ (ख) गंभीर घायल	 रू. 02 लाख (रू. दो लाख) रू. 01 लाख (रू. एक लाख) घायलों के उपचार का सम्पूर्ण खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू समान) के नुकसान पर स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के मकान	रू. 10 हजार (रू. दस हजार) रू. 20 हजार (रू. बीस हजार) रू. 40 हजार (रू. चालीस हजार)
4.	जीविकापार्जन के साधन की क्षति जैसे बैल गाड़ी, नाव आदि	रू. 20 हजार (रू. बीस हजार)
5.	जीविकापार्जन के साधन की क्षति जैसे ट्रेक्टर, जीप आदि ट्रक, रोड रोलर आदि बडे वाहन	रू. 02 लाख (रू. दो लाख) रू. 03 लाख (रू. तीन लाख)

04. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है, तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोड़कर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12 (चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

05. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडों का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के

.....4

अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए पी एल परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

06. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवदेन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों को यथासंभव वरीयता कम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके कियान्वयन के लिए यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सल पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं की भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

07. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगे। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई "कट ऑफ" तिथियां यथावत रहेंगी।

08. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

09. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षा कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उसकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जायेगी, जैसी प्रीमिटिव ट्राइब के प्रकरण में की जाती है। शिक्षाकर्मी वर्ग–3 पद हेतु बीएड/डीएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है।

10. नक्सल पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य में से किसी एक को यदि वह शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किसी भी विभाग में जिला प्रमुख की सहमति से नियुक्ति की जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु 3 वर्ष का समय प्रदान किया जाए। निर्धारित तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था जहॉ संभव हो, किया जाए।

11. यदि किसी नक्सल पीड़ित व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी संपत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में **पुलिस महानिरीक्षक रेंज/नक्सल अभियान/विशेष आसूचना शाखा प्रमुख** की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात आरक्षक, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों पर योग्यतानुसार नियुक्त कर सकेगा अथवा किसी अन्य विभाग के पदों पर उपरोक्त बिन्दु के अनुसार भर्ती हेतु अनुशंसा की जा सकेगी। यह

.....5

प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिए ही लागू होगा जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

12. नक्सल पीड़ित महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

13. नक्सल पीड़ित व्यक्ति यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहे है, तो उन्हे छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। नक्सल पीड़ित परिवार के अधिकतम दो बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों (प्रचलित नियमानुसार) में तथा आवासीय स्कूलों में 12वीं तक प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजनांतर्गत की जायेगी।

14. नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते हैं तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार का पुत्र–पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहता है तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में **पुलिस महानिरीक्षक रेंज/नक्सल अभियान/विशेष आसूचना शाखा प्रमुख** की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक, सहायक आरक्षक के पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक, सहायक आरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा/शारीरिक मापदंड/आयु में किसी प्रकार की छूट देने के लिए पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे।

15. छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवार के लिए **"मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना"** के अंतर्गत न्यूनतम दर पर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी।

16. छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवार के लिए **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना"** के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं की पात्रता होगी।

17. छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवार को प्रदेश के अंदर संचालित बसों में **"यात्री किराए में 50 प्रतिशत छूट"** की पात्रता होगी।

18. नक्सली हिंसा से पीड़ित को राहत हेतु प्रदान किये जाने वाले राहत/सहायता राशि गृह विभाग के बजट शीर्ष "मांग संख्या–4–शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को पीड़ित परिवार को प्रदान करने के लिए राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आबंटन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक है।

.....6

19. नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

2. (ब) आत्मसमर्पित नक्सली को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं –

01. आत्मसमर्पित नक्सली के नाम पर या नक्सली संगठन में उसके द्वारा धारित पदनाम के आधार पर घोषित पुरस्कार राशि (दोनों में से जो ज्यादा हो) आत्मसमर्पणकर्ता को दी जाएगी तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई ईनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी।

02. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी–

क.	शस्त्रों के नाम	अनुग्रह राशि
1.	एल.एम.जी	रू. 4,50,000
2.	ए.के.– 47	रू. 3,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	रू. 1,50,000
4.	थ्री नाट थ्री रायफल	रू. 75,000
5.	12 बोर बंदूक	रू. 30,000
6.	2'' मोर्टार	रू. 2,50,000
7.	सिंगल शार्ट गन	रू 30,000
8.	9 एम एम कार्बाइन	रू. 20,000
9.	पिस्टल/रिवाल्वर	रू. 20,000
10.	वायरलेस सेट	रू. 5,000
11.	रिमोट डिवाइस	रू. 3,000
12.	आई.ई.डी.	रू. 3,000
13.	विस्फोटक पदार्थ	रू. 1,000 (प्रति किलो)
14.	ग्रेनेड/जिलेटिनराड्स	रू. 500
15.	सभी प्रकार के एम्युनिशन	रू. 05 प्रति एम्युनिशन

नक्सली द्वारा बिना शस्त्र के समर्पण करने की स्थिति में उसे प्रोत्साहन स्वरूप 10,000/– रू. अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।

आत्मसमर्पित नक्सली के समर्पण उपरांत भारत सरकार पुनर्वास नीति के तहत गठित समिति की अनुशंसा पर व्यवसायिक प्रशिक्षण में जाने से पूर्व दिनांक (03 माह तक अधिकतम) तक जीविकोपार्जन हेतु प्रतिमाह 4000/– रू. अनुग्रह राशि प्रदान किया जायेगा।

03. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही ईकाई माना जायेगा और उन्हे पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए दोनों में से किसी एक को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जायेगा।

उन पर घोषित ईनाम की राशि के संबंध में पृथक–पृथक ईकाई मानकर राशि प्रदान की जायेगी। पति एवं पत्नी दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण करने की स्थिति में उन्हें पृथक से तत्काल आर्थिक सहायता 20,000/– रू. प्रदान किया जायेगा।

.....7

04. आत्मसमर्पित नक्सली के Reverse vasectomy के आपरेशन/शल्य चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति द्वारा राहत एवं पुनर्वास नीति के तहत की जायेगी, बशर्ते कि आपरेशन राज्य से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में किया गया हो।

05. आत्मसमर्पित नक्सलियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडों का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए.पी.एल. परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

06. आत्मसमर्पित नक्सली, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवदेन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों को यथासंभव वरीयता कम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके कियान्वयन के लिए यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सल पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं की भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

07. यदि आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिकमित की है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगे। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई "कट ऑफ" तिथियां यथावत रहेंगी।

08. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

आत्मसमर्पण उपरांत नक्सली को अपने परिवार को रखने हेतु अटल आवास योजना या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के अंतर्गत पुलिस अधीक्षकों द्वारा चयनित स्थान पर (चाहे वह किसी पुलिस थाना/लाईन्स/कैम्प के अंदर हो) 60 दिवस के अंदर कम से कम 1–BHK का आवास निर्माण कर प्रदान किया जायेगा। आवास पूर्ण होने तक सुरक्षा की दृष्टि से आत्मसमर्पित को ट्रांजिट कैम्प में रखा जायेगा। आवास निर्माण हेतु त्वरित सहायता के रूप में 75,000/– रू. प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहमति पर्याप्त होगी।

09. यदि आत्मसमर्पित नक्सली शिक्षित है और शिक्षा कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उसकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जायेगी, जैसी प्रीमिटिव ट्राइव के प्रकरणों की जाती है। शिक्षाकर्मी वर्ग–3 पद हेतु बीएड/डीएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। आत्मसमर्पित नक्सली शैक्षणिक योग्यता रखता एवं प्रशिक्षण शासन द्वारा दिया जा सकता है या दिया जाता है तो विचार किया जायेगा अन्यथा योग्यता अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

.....8

10. नक्सल पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य में से किसी एक को यदि वह शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किसी भी विभाग में जिला प्रमुख की सहमति से नियुक्ति की जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु 3 वर्ष का समय प्रदान किया जाए। निर्धारित तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था जहाँ संभव हो, किया जाए।

कंड़िका 20 के अनुसार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 06 माह तक आत्मसमर्पित नक्सली का अच्छा आचरण सिद्ध होने पर, पुलिस अधीक्षक से प्रमाण के आधार पर, ही शासकीय सेवा में लिया जा सकेगा।

11. यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी संपत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में **पुलिस महानिरीक्षक रेंज/नक्सल अभियान/विशेष आसूचना शाखा प्रमुख** की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात आरक्षक, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों पर योग्यतानुसार नियुक्त कर सकेगा अथवा किसी अन्य विभाग के पदों पर उपरोक्त बिन्दु के अनुसार भर्ती हेतु अनुशंसा की जा सकेगी। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिए ही लागू होगा जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

12. आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विकय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

13. आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहे है, तो उन्हे छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। आत्मसमर्पित नक्सली के अधिकतम दो बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों (प्रचलित नियमानुसार) में तथा आवासीय स्कूलों में 12वीं तक प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजनांतर्गत की जायेगी।

14. आत्मसमर्पित नक्सली शिक्षित है एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते हैं तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। आत्मसमर्पित नक्सली पुलिस विभाग में आना चाहता है तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज/नक्सल ऑपरेशन/विशेष आसूचना शाखा प्रमुख की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक, सहायक आरक्षक के पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक, सहायक आरक्षक के पद पर नियुक्ति शिक्षा/शारीरिक मापदंड/आयु में किसी प्रकार की छूट देने के लिए पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे।

.....9

15. छत्तीसगढ़ में निवासरत **आत्मसमर्पित नक्सली** के लिए **"मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना"** के अंतर्गत न्यूनतम दर पर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी।

16. छत्तीसगढ़ में निवासरत **आत्मसमर्पित नक्सली** के लिए **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना"** के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं की पात्रता होगी।

17. छत्तीसगढ़ में निवासरत **आत्मसमर्पित नक्सली** को प्रदेश के अंदर संचालित बसों में **"यात्री किराए में 50 प्रतिशत छूट"** की पात्रता होगी।

18. आत्मसमर्पित नक्सली को राहत हेतु प्रदान किये जाने वाले राहत/सहायता राशि गृह विभाग के बजट शीर्ष "मांग संख्या–4–शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को पीड़ित परिवार को प्रदान करने के लिए राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आबंटन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक है।

19. आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

20. "आत्मसमर्पित नक्सली' के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सल उन्मूलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा। आत्मसमर्पित नक्सली के पूर्व में अपराध में संलिप्त होने के बाद भी 06 माह तक उसके चाल चलन को देखने के पश्चात् अच्छे आचरण सिद्ध होने पर शासन द्वारा गठित मंत्रिपरिषद् की उप समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

21. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के जावक/यू.ओ. कमांक एफ–2015–02–00926/बी–1/2015, दिनांक 02/11/2015 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

16/11/2015

(विजय कुमार धुर्वे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

.....10

पृ. कमांक एफ–4–82/गृह–सी/2001 नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,
3. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
11. सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर,
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
14. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर,
15. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली,
16. समस्त संभागायुक्त, छ0ग0 रायपुर,
17. समस्त रेंज, पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़,
18. समस्त जिलादण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़,
19. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
20. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
21. संचालक जनसंपर्क, छत्तीसगढ़,
22. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
23. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/11/2015

(विजय कुमार धुर्वे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग